

बिहार कर्मचारी चयन आयोग,

पो0-वेटनरी कॉलेज, पटना-14

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार पटना के अधीनस्थ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना के अधीनस्थ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में डिप्लोमा/डिग्री उर्तीण उम्मीदवारों के लिए व्यवसाय अनुदेशक (अराजपत्रित) के निम्नांकित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑन-लाईन आवेदन आयोग के वेवसाईट <http://bssc.bih.nic.in> पर आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग के वेवसाईट पर उपलब्ध है।

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन दिनांक-23.06.2016 से 19.07.2016 तक

कुल रिक्तियाँ:-696

SL NO	ADV. NO.	NAME OF TRADE	GEN	SC	ST	EBC	BC	WBC	TOTAL
1	15010116	Electrician	49	20	1	19	13	3	105
2	15020116	Fitter	38	14	2	15	10	3	82
3	15030116	I T & ESM (SCVT)	29	14	1	14	9	2	69
4	15040116	Mech (Diesel)	27	10	0	10	7	1	55
5	15050116	Mech (Electronics)	36	13	1	13	8	3	74
6	15060116	Drawing	37	10	1	12	7	2	60
7	15070116	Math	37	21	3	22	13	3	110
8	15080116	welder	15	9	1	11	6	3	51
9	15090116	Turner	1	2	0	6	1	1	12
10	15100116	Wireman	1	2	0	4	3	1	11
11	15110116	Moulder	4	1	0	1	1	0	7
12	15120116	M M V	2	1	1	1	1	1	7
13	15130116	Machinist	2	1	0	2	0	1	6
14	15140116	Draught's Man (Mech.)	1	1	0	2	1	0	5
15	15150116	Draught's Man (Civil)	4	1	0	2	1	0	8
16	15160116	Instument Mechanic	1	0	0	0	1	0	2
17	15170116	Surveyor	2	0	0	1	0	0	3
18	15180116	Mech (Tractor)	1	0	1	2	0	0	4
19	15190116	Maintanance Mechanic	0	0	0	0	1	0	1
20	15200116	Skin Hair & care	0	0	0	1	0	0	1
21	15210116	Plumber	1	0	0	0	1	0	2
22	15220116	Maintanance Instructor	1	0	0	0	0	0	1
23	15230116	Maintanance Electric	0	1	0	0	0	0	1
24	15240116	Plastic Processing Operator	1	0	0	0	0	0	1
25	15250116	Mechanic Referigeretor & Air condition	5	2	0	2	1	1	11
26	15260116	Mech Consumer Electronics Appliances	3	2	0	1	1	0	7
		Total	307	125	12	141	86	25	696

23/6/16

शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव:-

(क) व्यवसाय अनुदेशक:-

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजिनियरिंग में 4 (चार) वर्षीय डिग्री 1 (एक) वर्ष के अनुभव के साथ । अथवा संबंधित व्यवसाय में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 (तीन) वर्षीय डिप्लोमा एवं 2 (दो) वर्ष का अनुभव ।

नोट:-इंजिनियरिंग डिग्री एवं डिप्लोमाधारी अनुदेशकों की नियुक्ति के तीन वर्षों के भीतर सी0आई0टी0एस0 प्रशिक्षण के द्वितीय सेमेस्टर में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, यदि वे प्रथम सेमेस्टर की सीधी परीक्षा को पास कर चुके हो ।

(ख) ड्राईंग अनुदेशक:-

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिकी इंजिनियरिंग में डिप्लोमा 2 (दो) वर्षों के अनुभव के साथ ।

(ग) गणित अनुदेशक:-

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजिनियरिंग में डिप्लोमा 2 (दो) वर्षों के अनुभव के साथ ।

(घ) अनुरक्षण अनुदेशक

(मैकेनिकल/इलेक्ट्रीकल):-

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजिनियरिंग में डिग्री एवं कारखाना के अधिनियम के अधीन पंजीकृत किसी कारखाना से मशीनों की मरम्मत एवं रख रखाव का 1 (एक) वर्ष का अनुभव । अथवा संबंधित व्यवसाय में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 (तीन) वर्षों का डिप्लोमा एवं कारखाना अधिनियम के अधीन पंजीकृत किसी कारखाना से मशीनों की मरम्मत एवं रख रखाव का 2 (दो) वर्ष का अनुभव ।

वेतनमान- 9300-34800 रूपये एवं, ग्रेड-पे 4200/-

उम्र सीमा:-

(1) आयु न्यूनतम:- 21 (इक्कीस) वर्ष ।

(2) अधिकतम आयु सीमा:-(i) अनारक्षित (सामान्य) - 37 वर्ष ।

(ii) अनारक्षित (महिला) - 40 वर्ष ।

(iii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष/महिला- 40 वर्ष ।

(iv) अनु0जाति/अनु0जनजाति पुरुष/महिला - 42 वर्ष ।(अभ्यर्थियों के

न्यूनतम उम्र की गणना 01.08.2015 के आधार पर एवं अधिकतम उम्र की गणना 01.08.2007 के आधार पर की जायेगी) ।

(2) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों को जो 03 (तीन) वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है । साथ ही, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-62, दिनांक-05.01.2007 के आलोक में निःशक्तों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षों की छूट अनुमान्य है ।

(3) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-2447, दिनांक-06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के

समतुल्य रियायत दी जायेगी वशर्त कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 (तिरेपन) वर्ष से अधिक नहीं हो ।

चयन की प्रक्रिया:-

सुयोग्य उम्मीदवारों का चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा । व्यवसाय (ट्रेड) से संबंधित लिखित परीक्षा में 100 (एक सौ) प्रश्न पूछे जायेंगे । इस प्रकार लिखित परीक्षा के लिए कुल प्राप्तांक 100 (एक सौ) अंको का होगा । प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे । प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 (एक) अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए 1/4 (एक चौथाई) अंक काटे जायेंगे । प्रत्येक ट्रेड के लिए अलग-अलग प्रश्न पत्र होंगे जिसका पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में लागू है । डिग्री/डिप्लोमाधारी उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए अलग पाठ्यक्रम होगा ।

नोट:- डिप्लोमा/डिग्री उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए क्रमांक-1 से 26 तक अंकित सभी ट्रेड्स (Trades) के लिए लिखित परीक्षा एक ही दिन एक साथ आयोजित की जायेगी ।

क्वालीफाइंग मार्क्स:-

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-2374, दिनांक-16.06.2007 के आलोक में लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जो निम्नांकित है:-

सामान्य वर्ग	-	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	-	36.5 प्रतिशत
अ0पि0वर्ग	-	34 प्रतिशत
अनु0जाति/जनजाति	-	32 प्रतिशत
महिला वर्ग	-	32 प्रतिशत

परीक्षा शुल्क:-

(क) सामान्य /पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी-750 रुपये ।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए)-200 रुपये ।

(ग) बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु -750 रुपये ।

परीक्षा शुल्क जमा करते समय परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क (Processing Charge) एवं सेवा कर (Service Tax) अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होगा । यथा ऑनलाइन (Credit Card / Debit Card / Netbanking) माध्यम से रुपये 750 की परीक्षा शुल्क पर रुपये 25.88 अतिरिक्त प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर सहित अभ्यर्थी द्वारा कुल 775.88 रुपये देय होगा । उसी प्रकार ऑनलाइन (Credit Card / Debit Card / Netbanking) माध्यम से रुपये 200 की परीक्षा शुल्क पर रुपये 06.90 अतिरिक्त प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर सहित अभ्यर्थी द्वारा कुल 206.90 रुपये देय होगा । एस0 बी0 आई बैंक चालान के माध्यम से रुपये 750 की परीक्षा शुल्क पर रुपये 50 अतिरिक्त प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर सहित अभ्यर्थी द्वारा कुल 800.00 रुपये देय होगा । बैंक चालान के माध्यम से रुपये 200 की परीक्षा शुल्क पर रुपये 50 अतिरिक्त प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर सहित अभ्यर्थी द्वारा कुल 250.00 रुपये देय होगा ।

अभ्यर्थी ऑनलाईन (Online) रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् परीक्षा शुल्क ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे (Online Payment Gateway) के माध्यम से दिनांक-23.06.2016 से 22.07.2016 तक अथवा SBI के

चालान के माध्यम से दिनांक-24.06.2016 से 20.07.2016 तक की निर्धारित अवधि में समर्पित करेंगे । अन्य किसी माध्यम से भेजा गया शुल्क मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क अदा करने से संबंधित प्रमाण पत्र(पावती रसीद) अपने पास सुरक्षित रखेंगे एवं आयोग द्वारा माँगे जाने पर समर्पित करेंगे । परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किये जायेंगे, साथ ही साथ अहस्तांतरणीय होंगे ।

आरक्षण:-


- (i) ऑनलाईन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में रखा जायेगा । सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-70, दिनांक-11.06.1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 (मूल) के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल वासी को ही देय है । ऑनलाईन आवेदन-पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा ।
- (ii) पिछड़ा वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र जिसमें क्रीमीलेयर में नहीं होने का उल्लेख हो, मान्य होगा । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा । ऑनलाईन आवेदन के समय यह प्रमाण-पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु काउंसेलिंग के समय पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण-पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित श्रेणी के माने जायेंगे तथा उन्हें आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अभ्यर्थी आवेदन-पत्र भरते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे जिस आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत आते हो उसी आरक्षण श्रेणी का दावा करेंगे। काउंसेलिंग के समय पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा जमा किये जानेवाला क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा उक्त तिथि के एक वर्ष के अन्दर निर्गत होना चाहिए ।
- (iv) सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या-13185, दिनांक-03.09.2015 के अनुसार बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती, नाती/नतनी को राज्य सरकार के सेवाओं में नियुक्ति में 02 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा अर्थात् चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी ।
- (v) सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या-2342, दिनांक-15.02.2016 के अनुसार बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा । 50 प्रतिशत मेरिट तथा 50 प्रतिशत आरक्षित वर्ग के आधार पर नियमानुसार चयन सूची तैयार करने के उपरांत महिलाओं की संख्या स्वतः 35 प्रतिशत से अधिक हो जाने की स्थिति में इसे यथावत् रखा जायेगा ।

अन्य:- (i) किसी उम्मीदवार के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा और यह अंतिम होगा । वैसे ही उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिन्हें एतदर्थ आयोग द्वारा बुलावा पत्र (Call letter) निर्गत किया जायेगा । बुलावा-पत्र निर्गत होने मात्र से अर्हता की सम्पुष्टि नहीं मानी जायेगी । किसी उम्मीदवार के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता/अपात्रता के विन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

(ii) किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा ।

(iii) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् Submit करने से पूर्व उसकी सभी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक देखकर यह सुनिश्चित कर लें सभी प्रविष्टियाँ ठीक से भरी गई है । ऑनलाईन आवेदन समर्पित कर देने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार की त्रुटि का परिमार्जन नहीं किया जा सकेगा ।

अंतिम तिथि:-ऑनलाईन आवेदन जमा करने की तिथि दिनांक-23.06.2016 से 22.07.2016 की रात्रि 12:00 बजे (Server Time) तक निर्धारित है । अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे । ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है ।


सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना ।